

फोटो

प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)

भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

- 1/ **NEET**----- परीक्षा का टेस्टिंग आई.डी.नं
...
- 2/ आल इण्डिया मेरिट सूची क्रमांक
...
- 3/ पूरा नाम:
...
- 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
.....
- 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....
अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6/ प्रवर्ग- (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग, एन.आर.आई. सेवारत):
- 7/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.नं.....
- 8/ अभ्यर्थी का बैंक खाता नं..... आई.एफ.एस.कोड नं..... पोर्टल पर दर्ज फीस ट्रान्जेक्शन नं.....

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें

1. चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति।
2. आयु प्रमाण के लिये सकेण्डरी, हॉयर सकेण्डरी, 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof) की अंक सूची। भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड आफ एकजामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अनिवार्य इन्टरशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अथवा दिनांक 31 मार्च तक इन्टरशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल/ मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती।
6. अभ्यर्थी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।

7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र
9. वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)।
10. सेवारत अभ्यर्थी को मूल विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू)।
12. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र,नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो (यदि लागू हो)।
13. सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थी को कमान्डेंट (सेवारत सैनिक की दशा में) अथवा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड (सेवानिवृत्त अथवा मृत सैनिक की दशा में) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
14. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी को संबंधित जिला कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
15. अनिवासी भारतीय होने संबंधी संबंधित दूतावास (embassy)/काउंसिलेट जनरल द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी किया गया प्रमाण पत्र।
16. अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र।
17. अनिवासी भारतीय का संलग्न प्रारूप में अभ्यर्थी के उस पर आश्रित होने संबंधी नोटरी द्वारा शपथ पत्र।
18. सीट लिविंग बॉण्ड।
19. ग्रामीण सेवा/मेघावी छात्र बंध पत्र।
20. मध्य प्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र।
21. म.प्र. शासन की ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को यथास्थिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता